लय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

3/2021

तारीखरजू:– 21-9-21

उनवानः– नजीरन बनाम जन्नत वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

	फर्द अहकाम	
21	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए सायलान व गैरसायलान को दिनांक 30.09.2021 तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 678/0.48 है0 मे ग्राम भनकपुरा तहसील टोडाभीम मे पेशी दिनांक 30.09.2021 तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 30.09.2021 को पेश हो। (... मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	
30/9/21	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 18.10.21 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:40:59 IST
Reason: SelfAttested

लय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री हँसराम गुर्जर एडवोकेट ने हिदायत पैरवी नही करने का कथन किया। वास्ते कोई नोटिस तलबी दिनांक 14.2.24 को पेश हो।

हिदायत पैरवी नही है

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी नजीरन पत्नी बन्दु खॉन ने प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत कराया है कि पक्षकारो के मध्य राजीनामा हो चुका है प्रार्थना पत्र को आगे नही चलाना चाहते है पत्रावली को नोट प्रेस मे खारिज करवाने का निवेदन किया।

अतः पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली नोट प्रेस मे खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:40:59 IST
Reason: SelfAttested